

फर्द अहकाम

शाहचन्द बनाम खेतचन्द

नाम न्यायालय सहायक जलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
 केस संख्या 30/2024 मुख्यालय-जयपुर

(सी. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
18/10/24		आज दिनांक 18/10/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिनायक संघ द्वारा आज कन्वोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/10/24 को पेश हों।
25/10/24		पत्रावली देखा गई। अधिवक्ता पार्टी उपस्थित। बहस प्रार्थनाया ली. आई. पर हुई। अधिवक्ता पार्टी द्वारा अर्ज दाखल किया गया है। अतः पत्रावली वास्तु बहस प्र. पा. ली. आई. दिनांक 08/11/24 को पेश हों।
08/11/24		बहस दिनांक 08/11/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिनायक संघ द्वारा आज कन्वोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/11/24 को पेश हों।
19/11/24		पत्रावली देखा गई। अधिवक्ता पार्टी उपस्थित। बहस प्रार्थनाया ली. आई. पर सुनी गई। पार्टी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि पार्टी की ओर से ग्राम चकमनोदपुर तहसील आमेर जिला स्थित खेतचंद की सरकारीदारिता की भूमि धारणी क्रमांक: 349, 350 कुल क्षेत्रफल 2 कुल रकबा 2.62 हे. कुल रकबा 2.62 हे. कुल रकबा के

फर्द अहकाम

शाहचन्द बनाम खेतचन्द के अर्ज

नाम न्यायालय सहायक जलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
 केस संख्या 30/2024 मुख्यालय-जयपुर

(सा. पा. ली. आई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19/11/24		बहस कीट्स हेड काउण्टर्स विधिक विभाजन हेतु वापस प्रस्तुत किया गया है जो अर्जित है। जिसके अन्तर्गत पार्टी का 1/12 हिस्सा दर्ज/मिहित है। पार्टी की सरकारीदारिता की उक्त अर्जित भूमि के विधिक विभाजन हेतु प्रस्तुत वादपा एवं अर्जित भूमि के विधिक विभाजन हेतु एक माफि व रिकॉर्ड की प्रशासित काफत रखे जाने हेतु प्रस्तुत दस्तावेज प्रार्थनाया ली. आई. के समर्थन में किसी प्रकार की उक्त आपत्ति प्रस्तावित नहीं है। अर्जित भूमि के विधिक विभाजन हेतु अपाधीगण (प्रतिवादीगण) को विधिक विभाजन जारी किए जाने व नोडिस प्रार्थना के अंतर्गत भी अपाधीगण की ओर से न्यायालय दाय में उपस्थित प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः वादपा व प्रार्थनाया ली. आई. का किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप में कोई समर्थित/प्रतिवादी रकडन अथवा भूमि के विधिक विभाजन व विधिक विभाजन हेतु एक अधिवक्ता मिथ्यापत्र जारी किए जाने का बत किसी भी प्रकार की कोई उक्त आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः उक्त अर्जित सरकारीदारिता अर्जित भूमि के विधिक विभाजन भाग से सम्बन्धित है। अतः वादपा प्रस्तुत व न्यायालय के अंतर्गत भूमि को संरक्षित रखा जाना न्यायालय है। अतः पार्टी का प्रार्थनाया ली. आई. स्वीकार किया जाकर अपाधीगण को मुनवाप के विस्तारण तक अर्जित वादपा अर्जित भूमि शा. ए. नं. 349, 350 कुल क्षेत्रफल 2 कुल रकबा 2.62 हे. की माफि व रिकॉर्ड की प्रशासित काफत रखे जाने का बत पावरफ प्रमाणित है।	
		इसमें पार्टी अधिवक्ता की बहस प्रार्थनाया ली. आई. पर सुनी, न्यायालय पर कथन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन	



फर्द अहकाम

शागचरु बनाम रवेनचरु व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
 केस संख्या 30/2024 मुख्यालय-जयपुर (शा. पा. ए. टी. भाई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/11/24	<p>किया। प्रतापली के उपलब्ध व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी की ओर से स्वयं की अतिरिक्त सहायता की शक्ति के माध्यम से विधिक विज्ञान के संदर्भ में मूलवाद प्रस्तुत किया गया है। जो अस्वीकार्य है। साथ ही शक्ति विधिक विज्ञान तक अंगीकृत अस्वीकार्य विधिक विज्ञान शक्तिवादी भाई भाई प्रस्तुत किया गया है। अतः इस/संदर्भ में अंतरिम अस्वीकार्य भाई भाई फिनांड 23.02.24 को पारित किया गया है। जो आज फिनांड तक प्रभावी है। अतः संदर्भ में कोई उच्च आपति अथवा कोई समीचीन। औपचारिक रवेन व अथवा किसी की अग्रणी प्रस्ताव। आज फिनांड तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अग्रणी अंग अंगीकृत विधिक विज्ञान शक्तिवादी भाई भाई के न्यायालय द्वारा में उपस्थिति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अग्रणी के विरुद्ध अंतरिम अस्वीकार्य भाई भाई अंत में पारित किए जा चुके हैं। अतः अंत में अंत में किसी भी अग्रणी प्रस्ताव अंग किसी भी गान्य। समीचीन स्वर पर वादपत्र व अग्रणी भाई भाई का कोई रवेन अथवा किसी भी अग्रणी को कोई उच्च आपति अंतरिम अस्वीकार्य भाई भाई के संदर्भ में आज फिनांड तक प्रस्तुत नहीं की गई है। तथा वाद बहुलता के दृष्टिकोण व प्रस्ताव अंत में भी शक्ति वादपत्र को संरक्षित रखा जाना आवश्यक व अनिवार्य समझा है। अतः न्यायवित्त व वाद बहुलता के दृष्टिकोण पूर्व अंतरिम अस्वीकार्य भाई भाई फिनांड 23.02.24 को अग्रणी मूलवाद अस्वीकार्य किया जाकर अग्रणी प्रस्ताव को अंगीकृत</p>

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
 मुख्यालय-जयपुर

P.T.O.

फर्द अहकाम

शागचरु बनाम रवेनचरु व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
 केस संख्या 30/2024 मुख्यालय-जयपुर (शा. पा. ए. टी. भाई.)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/11/24	<p>गिषेधारा पाबन्क किया जाता है कि वे गणपत नोहरपुरा तह. अमेर जिला जयपुर स्थित वाय अन्वीन भूमि शा. ख. नं. 344, 350 कुल रकबा कि. 2 कुल रकबा 2.62 ई. की मौका व रिकार्ड की उपस्थिति कायम रहे। विरासत नामांतरण के संदर्भ में उक्त अग्रणी प्रस्ताव नहीं होगा। निर्णय सुनाया गया। प्रतापली फौजदारी अमेर से कम हो। वाद तथ्यों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत है।</p>	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
 मुख्यालय-जयपुर